सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 45/2019 दायर दिनाँक 28.01.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मदअलीखाँ पुत्र लालखाँ, उम्र—60साल, जाति—शेरानी, निवासी—शेरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. शौकतअली उर्फ सौकतखाँ पुत्र लालखाँ, 2. मोहब्बतअली पुत्र लालखाँ, 3. खुर्शीदबानो पुत्री लालखाँ, 4. इस्लाम पुत्री लालखाँ, 5. आसिया सदिका पुत्री लालखाँ, 6. हाजरा पत्नी लालखाँ, 7. मो0 रफीक पुत्र कासमदीन, 8. मो0 आरिफ पुत्र कासमदीन, 9. भँवरूखाँ पुत्र प्यारूखाँ, 10. लुकमानखाँ पुत्र प्यारूखाँ, 11. जोरा पुत्री प्यारूखाँ, 12. सलामत पुत्री प्यारूखाँ, 13. रफिका पुत्री प्यारूखाँ, 14. मो0 रफीक पुत्र मो0 हनीफखाँ, 15. अहसानअली पुत्र मो0 हनीफखाँ, 16. मोहम्मद जफरूदीन पुत्र मो0 हनीफखाँ, 17. शमसुदीन पुत्र मो0 हनीफखाँ, 18. जोमरदीनखाँ पुत्र मो0 बक्सखाँ, 19. गनीखाँ उर्फ अ0 गनी पुत्र इजाजखाँ, 20. चान्द मोहम्मद पुत्र इजाजखाँ, समस्त,जाति—शेरानी, निवासी—शेरानीआबाद, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 21. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 45 / 2019
दायर दिनाँक 28.01.2019, निर्णय दिनाँक 11.02.2019
मोहम्मदअलीखाँ बनाम् शौकतअली उर्फ सौकतखाँ, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 09, 18, 19 व 20 की ओर से।

दिनाँक **11.02.2019**

–:: **निर्णय** ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 की पैतृक भूमि के खेत खसरा नम्बर 1093 रकबा 40.02 बीघा वाकै शेरानीआबाद में स्थिति है, जो पैतृक खातेदारी की भूमि है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 स्वर्गीय हबीब खाँ के वारिसान् हैं।

वादग्रस्त भूमि में से एक कदीमी रास्ता रकबा 01.11 बीघा दर्ज हो जाने के बाद अब उक्त जमीन रकबा 38.11 बीघा भूमि ही बची है व एक गैर मुमकिन रास्ता के खसरा नम्बर 1499 / 1093 रकबा 01.11 बीघा है।

वादग्रस्त भूमि में खातेदार ऐमना पत्नी स्वर्गीय प्यारूखाँ व लालखाँ फौत हो चुके है जिनमें ऐमना के वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 09 ता 17 है व लाल मोहम्मद के वारिसान् वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 08 हैं।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के दस्तावेजात् में पिता का नाम लालखाँ है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में लाल मोहम्मद दर्ज हो रखा है तथा प्रतिवादी संख्या 10 का नाम सभी दस्तावेजात् में लुकमान खाँ है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में लुकमान हकीम है। प्रतिवादी संख्या 19 का नाम गनी खाँ है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में नाम अब्दुल गनी है। इसलिए इनका नाम सभी दस्तावेजात् के आधार पर नाम दुरस्त किया जावे।

वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जबकि मौके पर इसका मौखिक बन्टवारा पक्षकारान् के बीच हो गया है तथा वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि में अपने–अपने बन्ट अनुसार काबिजकाश्त हैं, जो निम्नानुसार हैः–

प्रशासक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

(क) खसरा नम्बर 1093 रकबा 38.11 बीघा भूमि का बन्ट–

हिस्सा 1/4 भाग भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के बन्ट में व हिस्सा 1/4 भाग भूमि प्रतिवादी संख्या 18 के बन्ट में व हिस्सा 1/4 भाग भूमि प्रतिवादीगण संख्या 19 व 20 के बन्ट में है।

प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 08 व 11 ता 17 को सामाजिक रीति–रिवाज अनुसार उनका अदा कर दिया है इसलिए इनका नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे।

वादी अपने हिस्से में कदीम से काश्त करता आया है मगर दिनाँक 28.12.2018 को प्रतिवादीगण ने वादी को एलानियों धमकी बाबत् मुतनाजा से बदेखल व बैचाण की देने से बिनाय दावा उत्पन्न हुआ जो लगातार हो रहा है।

तहसीलदार डीडवाना को आवश्यक पक्षकार होने से वाद में पक्षकार बनाया गया है। वाद किसी सरकारी भूमि बाबत् नहीं होकर मात्र भाई बन्टवारे का है इसलिए दो माह की अवधि का नोटिस बिना ही वाद पेश किया गया है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 1093 रकबा 40.02/38.11 बीघा भूमि में से हिस्सा 1/4 भाग भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को तथा हिस्सा 1/4 भाग भूमि का प्रतिवादी संख्या 18 को तथा हिस्सा 1/4 भाग भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 19 व 20 को खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 08 व 11 ता 17 का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पिता का नाम "लालमोहम्मद" के स्थान पर "लालखाँ" तथा प्रतिवादी संख्या 10 का नाम "लुकमान हकीम" के स्थान पर "लुकमानखाँ" तथा प्रतिवादी संख्या 19 "अब्दुलगनी" के स्थान पर "गनीखाँ" दुरस्त किया जावे।

वाद के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 21 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

संख्या 07, 10 व 21 के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 06, 08 व 11 ता 17 ने इकबालिया जवाब पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 09 व 18 ता 20 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री शरीफ शेरानी ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री मोहम्मद रफीक ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

राजीनामा के मुताबिक– राजीनामा के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार वादग्रस्त भूमि की खातेदारी चाहते हैं जिसमें सरहद शेरानीआबाद के खसरा नम्बर 1093 रकबा 38.11 बीघा भूमि में से रकबा 04.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 20 को व रकबा 04. 16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 19 को व रकबा 03.05 बीघा का वादी को व रकबा 03.05 बीघा का प्रतिवादी संख्या 02 को व रकबा 03.05 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को व रकबा 03.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 10 को व रकबा 06.12 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 09 को तथा रकबा 09.12 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 18 को खातेदार घोषित किया जावे अर्थात् वादी अनुतोष माफिक दावा डिक्री किया जावे।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय राजीनामा पेश किया। राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किये जाने में पक्षकारान् सहमत हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वाद में राजीनामा पेश हुआ है जिसके मुताबिक पक्षकारान् खातेदारी चाहते हैं। राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवेचन वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 45 / 2019
दायर दिनाँक 28.01.2019, निर्णय दिनाँक 11.02.2019
मोहम्मदअलीखाँ बनाम् शौकतअली उर्फ सौकतखाँ, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद शेरानीआबाद की वादग्रस्त खसरा संख्या 1093 रकबा 38.11 बीघा भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित भूमि माफिक खातेदारी आदेश इस कदर पारित किये जाते हैं, कि–

1. रकबा 04.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 20 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. रकबा 04.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 19 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. रकबा 03.05 बीघा का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. रकबा 03.05 बीघा का प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. रकबा 03.05 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. रकबा 03.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
7. रकबा 06.12 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 09 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
8. रकबा 09.12 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 18 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
9. इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 08 व 11 ता 17 के नाम उक्त खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाए जाते हैं।
10. इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पिता का नाम "लाल मोहम्मद" के स्थान पर "लाल खाँ" व प्रतिवादी संख्या 10 का नाम "लुकमान हकीम" के स्थान पर "लुकमान खाँ" व प्रतिवादी संख्या 19 का नाम "अब्दुल गनी" के स्थान पर "गनी खाँ" दुरस्त किया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **11.02.2019** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **45/2019**

दायर दिनाँक **28.01.2019**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मदअलीखाँ पुत्र लालखाँ, उम्र–60साल, जाति–शेरानी, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. शौकतअली उर्फ सौकतखाँ पुत्र लालखाँ, 2. मोहब्बतअली पुत्र लालखाँ, 3. खुर्शीदबानो पुत्री लालखाँ, 4. इस्लाम पुत्री लालखाँ, 5. आसिया सदिका पुत्री लालखाँ, 6. हाजरा पत्नी लालखाँ, 7. मो0 रफीक पुत्र कासमदीन, 8. मो0 आरिफ पुत्र कासमदीन, 9. भँवरूखाँ पुत्र प्यारूखाँ, 10. लुकमानखाँ पुत्र प्यारूखाँ, 11. जोरा पुत्री प्यारूखाँ, 12. सलामत पुत्री प्यारूखाँ, 13. रफिका पुत्री प्यारूखाँ, 14. मो0 रफीक पुत्र मो0 हनीफखाँ, 15. अहसानअली पुत्र मो0 हनीफखाँ, 16. मोहम्मद जफरूदीन पुत्र मो0 हनीफखाँ, 17. शमसुदीन पुत्र मो0 हनीफखाँ, 18. जोमरदीनखाँ पुत्र मो0 बक्सखाँ, 19. गनीखाँ उर्फ अ0 गनी पुत्र इजाजखाँ, 20. चान्द मोहम्मद पुत्र इजाजखाँ, समस्त,जाति–शेरानी, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 21. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 **R.T. Act.**

दिनाँक **11.02.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री मोहम्मद रफीक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 09, 18, 19 व 20 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद शेरानीआबाद की वादग्रस्त खसरा संख्या 1093 रकबा 38.11 बीघा भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इसकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित भूमि माफिक खातेदारी आदेश इस कदर पारित किये जाते हैं, कि–

1. रकबा 04.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 20 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. रकबा 04.16 बीघा का प्रतिवादी संख्या 19 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. रकबा 03.05 बीघा का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. रकबा 03.05 बीघा का प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. रकबा 03.05 बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
6. रकबा 03.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 10 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
7. रकबा 06.12 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 09 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
8. रकबा 09.12 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 18 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
9. इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 08 व 11 ता 17 के नाम उक्त खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाए जाते हैं।
10. इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के पिता का नाम "लाल मोहम्मद" के स्थान पर "लाल खाँ" व प्रतिवादी संख्या 10 का नाम "लुकमान हकीम" के स्थान पर "लुकमान खाँ" व प्रतिवादी संख्या 19 का नाम "अब्दुल गनी" के स्थान पर "गनी खाँ" दुरस्त किया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिग............–.............. बाबत..........
.......–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **11.02.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner